अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया,R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 244/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/544

अनवान

1. बद्रीलाल पिता दला जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
2. सुरेश पिता दला जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

.....वादी

बनाम

1. श्री रामा पिता भीमा जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री मोहन पिता भीमा जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री किशन पिता भीमा जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती बगदी पुत्र भीमा जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
5. श्रीमती नानी पुत्री भीमा जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री सवा पिता रता जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री कना पिता रता जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
8. श्री पेमा पिता पूना जटिया निवासी सालेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
9. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.11.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	बद्रीलाल पुत्र दला 1/2, सुरेश पुत्र दला 1/2 जाति जटिया सा. देह खातेदार	1404	0.1400	चा.द्वि.	3.6400
		1397	0.2900	बा.द्वि.	1.4500
		1401/02	0.0150	बा.द्वि.	0.0700
	योग	किता 3	0.4450	–	5.1600
2.	किशनलाल, मोहन, रामा, नानी, बगदी पिता भीमा जाति जटिया हि.व. सा. देह. खातेदार	1403	0.1400	चा.द्वि.	3.6400
		1401/1	0.3050	बा.द्वि.	1.5300
	योग	किता 2	0.4450	–	5.1700

नोट– उक्त अंतिम डिकी का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।